इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4619

17 मई, 2012 को उत्तर के लिए

एन.एम.डी.सी. द्वारा खनिजों का निर्यात

4619. श्री रघुनन्दन शर्मा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जब देश के घरेलू इस्पात उद्योगों को मांग के अनुरूप लौह अयस्क की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, तब फिर ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एन.एम.डी.सी.) की बेलाडीला स्थित खदानों से जापान/कोरियाई इस्पात मिलों को देश के बहुमूल्य एवं उच्च गुणवत्ता वाले खनिजों के निर्यात की अनुमति क्यों दी गई और किसके निर्देश पर यह अनुमति दी गई;

(ख) क्या स्वयं एन.एम.डी.सी. इस्पात मंत्रालय ने भी घरेलू जरूरतों के संदर्भ में इस निर्यात का विरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो इनके विरोध को नजर अंदाज किए जाने के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ग): दीर्घकालीन करार के अंतर्गत एनएमडीसी की बेलाडिला खानों के लौह अयस्क समेत अन्य लौह अयस्क का निर्यात जापान और कोरिया की इस्पात मिलों को किए जाने का निर्णय सरकार द्वारा एनएमडीसी लिमिटेड और इस्पात मंत्रालय समेत विभिन्न स्टेक होल्डरों के मतों पर विचार करने के पश्चात लिया गया है, क्योंकि इन दोनों साझेदार देशों के साथ भारत की द्विपक्षीय संधि में लौह अयस्क की आपूर्ति एक मुख्य घटक है।

****